

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2014/फाल्गुन 6, 1935

No. 84]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2014/PHALGUNA 6, 1935

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 5 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 112(अ).—विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा जारी 8 मई 2013 की अधिसूचना सं. फेमा. 277/2013-आरबी, जो भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण - भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में 30 जुलाई 2013 के जी.एस.आर. संख्या 516 (ई) के जरिये प्रकाशित की गई, में,

पृष्ठ 4 में, निम्नलिखित को :

विनियम 15 में, उप-विनियम (iii) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम (iv) जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 28 मार्च 2012 से जोड़ा गया है:

(iv) जहाँ मेजबान देश का कानून संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के लेखा-बहियों की लेखा परीक्षा करना अनिवार्य नहीं बनाता है वहाँ उप-विनियम (i) के तहत यथा उल्लिखित भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के बिना लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे के आधार पर वार्षिक कार्य निष्पादन (i) रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए बशर्ते-

ए. भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखा परीक्षक यह प्रमाणित करें कि 'संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के बिना लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के मामलों की सच्ची एवं सही तस्वीर पेश करते हैं' और

बी. कि संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के बिना लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे भारतीय पार्टी द्वारा समाहित कर लिए गए हैं और बोर्ड द्वारा उनकी अभिपुष्टि की गयी है।"

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

विनियम 15 में, उप-विनियम (iV) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम (V) जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 28 मार्च 2012 से जोड़ा गया है।

(V) जहाँ मेजबान देश का कानून संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के लेखा-बहियों की लेखा परीक्षा करना अनिवार्य नहीं बनाता है वहाँ उक्त उप-विनियम (i) के तहत यथा उल्लिखित भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के बिना लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे के आधार पर वार्षिक कार्य निष्पादन (i) रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए बशर्ते-

ए. भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखा परीक्षक यह प्रमाणित करें कि 'संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के बिना लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के मामलों की सच्ची एवं सही तस्वीर पेश करते हैं' और

बी. कि संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के बिना लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे भारतीय पार्टी द्वारा समाहित कर लिए गए हैं और बोर्ड द्वारा उनकी अभिपुष्टि की गयी है।"

[सं. 1/37/ईएम/2012]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 5th February, 2014

G.S.R. 112(E).—In the Notification No. FEMA. 277/2013-RB dated 8th May 2013 of the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, Central Office, published in the Gazette of Government of India, Extraordinary – Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide G.S.R. No.516(E) dated 30.07.2013,

In para 4, for the following :

"In Regulation 15, after sub-regulation (iii), the following sub-regulation (iv) shall be added and the same shall be deemed to have been added with effect from March 28, 2012:

“(iv) Where the law of the host country does not mandatorily require auditing of the books of accounts of JV/WOS, the Annual Performance Report (APR) as referred to under sub-regulation (iii) may be submitted by the Indian party based on the un-audited annual accounts of the JV/WOS provided:

- a. The Statutory Auditors of the Indian party certify that 'The un-audited annual accounts of the JV/WOS reflect the true and fair picture of the affairs of the JV/WOS' and
- b. That the un-audited annual accounts of the JV/WOS has been adopted and ratified by the Board of the Indian party."

the following shall be substituted :

"In Regulation 15, after sub-regulation (iv), the following sub-regulation (v) shall be added and the same shall be deemed to have been added with effect from March 28, 2012:

- (v) Where the law of the host country does not mandatorily require auditing of the books of accounts of JV/WOS, the Annual Performance Report (APR) as referred to under sub-regulation (iii) above, may be submitted by the Indian party based on the un-audited annual accounts of the JV/WOS provided:
 - a. The Statutory Auditors of the Indian party certify that 'The un-audited annual accounts of the JV/WOS reflect the true and fair picture of the affairs of the JV/WOS' and
 - b. That the un-audited annual accounts of the JV/WOS has been adopted and ratified by the Board of the Indian party."

[No. 1/37/EM/2012]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager